अधिसूचना

सं012/2016-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.) नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016.

सा0का0नि0...........(अ)- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4क की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 49/2008-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 24 दिसम्बर, 2008 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं. 882(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,--

(i) क्रम सं0 39 से 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)
"39	3401	सभी माल	30
40	3402	सभी माल	30";

(ii) क्रम सं0 56 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, “30” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) क्रम सं0 64 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)
"64क	7607	सभी माल	25";

(iv) क्रम सं0 87 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)
"87क	8517 62	कलाई पर पहने जाने वाली युक्तियां (जो सामान्य रूप से स्मार्ट घड़ियों के रूप में	35";

		ज्ञात हैं)	

(v) क्रम सं0 108 और 109 के सामने स्तंभ (3) में "पुर्जे, संघटक और संयोजन" शब्दों के स्थान पर "पुर्जे, संघटक, सहायिकियां और संयोजन" शब्द रखे जाएंगे ;

(फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 882(अ) तारीख 24 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 3/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा सा.का.नि. सं. 148(अ) तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।